CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1. करिया तनय कलुआ अहिरवार
2. कोमल तनय कलुआ अहिरवार
3. तंसुवा तनय कलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम मछन्द्री तह. बक्स्वाहा जिला छतरपुर

4. नंदलाल तनय कुवंरसींग
5. रमेश तनय कुवंरसींग

निवासी ग्राम गोरानांद तह. बक्स्वाहा जि. छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. झलकन तनय लीलाधर लोधी

निवासी ग्राम चाचईसेमरा तह. बक्स्वाहा जि छतरपुर ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह. पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/06/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोरानांद स्थित भूमि खसरा क्र 101/1 भूमि निगरानीकर्तागण की भूमि है तथा अनावेदक क्र 2 द्वारा भूमि खसरा क्र 101/1/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3674-II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–2–2016	निगरानी प्रकरण क्रमांक 3671–दो/15, 3670–दो/15 एवं 3674–दो/15 राजस्व मण्डल में, राजस्व निरीक्षक, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ । मेरे द्वारा निगराकार पक्ष के विद्वान अधिववक्ता के तर्क सुने गए तथा नस्ती के अभिलेख का परिशीलन किया गया । प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता ने दिनांक 27–1–16 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया, जिसके प्रकाश में प्रकरण को विचार में लिया जा रहा है । इनके आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :– (1) सर्वे नंबर 101/1 एक बड़ा रकबा था । दिनांक 26–6–14 की वर्ष 2013–14 की खसरा प्रविष्टि के अनुसार (प्रतिलिपि प्रकरण कमांक निग0 3671–दो/15 में अवस्थित) इसके बटांक खसरे में कायम नहीं हुए है । साथ ही पटवारी नक्शा ट्रेस (जो प्रकरण क्रमांक 3671–दो/15 में संलग्न है) में सर्वे नंबर 101/1 में किन्हीं बटांकों की तरमीम दर्शित नहीं है । यही खसरा एवं नक्शा तीनों प्रकरणों में लागू हैं । तीनों प्रकरणों में सीमांकन आदेश दिनांक 4–6–14 का है, जो बगैर बटांकों वाले उक्त खसरे की प्रति की दिनांक 25–6–14 से पूर्व की दिनांक है । इससे स्पष्ट है कि बगैर राजस्व अभिलेख में सर्वे नंबर 101/1 के बटांक अमल कराए एवं बगैर ऐसे बटांक के आधार	प

पर नक्शा तरमीम कराए, 101/1 के बटांकों के सीमांकन की कार्यवाहियां की गई है, जो प्रथम दृष्टया ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

(2) तीनों प्रकरणों में निगराकारगण को सूचना दिये जाने का कोई लेख अवलोकनीय नहीं हुआ है ।

(3) प्रकरण कमांक 3670–दो/15 एवं 3671–दो/15 में विद्यमान पंचनामों में केवल एक निगराकार कोमल के हस्ताक्षर है। प्रकरण कमांक 3674–दो/15 के पंचनामें में किसी निगराकार के हस्ताक्षर नहीं है । बगैर हस्ताक्षर वाले निगराकारों के संबंध में यह भी नहीं लिखा है कि उन्होंने उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार किया । फिर भी निगराकारगण का अवैध कब्जा बताया गया है ।

(4) प्रकरण कमांक 3674–दो/15 से संबंधित पंचनामें में सीमांकित सर्वे नंबर 101/1/1 लिखा है और आदेश में 101/1/2 लिखा है ।

(5) प्रकरण कमांक 3670–दो/15 एवं 3671–दो/15 में नजरी नक्शा भी अवलोकनीय नहीं है ।

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने में हुए विलंब को क्षमा करता हूँ तथा इन बिन्दुओं, विशेषकर बिन्दु कमांक 1 के प्रकाश मे मैं उक्त तीनों प्रकरणों से संबंधित आक्षेपित सीमाकंन आदेशों को स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ एवं निरस्त करता हूँ । साथ ही संबंधित तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा को यह निर्देश देता हूँ कि इन प्रकरणों में सीमाकंन की कार्यवाही विधिवत बटांक कायम होने और विधिवत नक्शा तरमीम होने के बाद ही समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को (निगराकारगण सहित) विधि एवं नैसर्गिक

निग0 3674 –दो / 15 जिला छतरपुर

न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सूचना एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए, आवश्यकतानुसार की जाए ।

आदेश पारित ।

पक्षकार एवं तहसीलदार तहसील बक्स्वाहा सूचित हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0हो ।

2-2-16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य